उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-11/2018/230/26-3-2018-10(16)/2016टी.सी.

लखनऊ दिनांकः 19 जनवरी 2018

<u>आदेश/शुद्धि पत्र</u>

अतिपिछडे अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड सोहरतगढ के निम्न ग्रामों-सीतारामपुर, सेमरा, पकड़ीटोला नौडिहवा, मुडिला बुर्जुग, करौती, टेकनार, पिपरा, पल्टादेवी, रमवापुर नानकार, लुचुईया तथा विकासखण्ड बढ़नी के सिसवाबुर्जुग एवं मोहनटोला में पिचरोड/सी.सी.रोड/के.सी.डेन निर्माण हेतु शासन के पत्र संख्या-01/2018/50/26-3-2018-10(16)/2016टी.सी., दिनांक-05.01.2018 द्वारा अवशेष धनराशि रूपया-841.64 लाख के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रूपया-250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- उक्त शासनादेश के प्रथम पैरा के सारणी क्रमांक-11 एवं 12 में अंकित 'सोहरतगढ' के स्थान पर बढ़नी पढ़ा जाय। शासनादेश संख्या-01/2018/50/26-3-2018-10(16)/2016टी.सी., दिनांक-05.01.2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश के शेष अंश यथावत रहेंगे।

रवि शंकर मिश्र

अनुसचिव

<u>पृ0संख्या-11/2018/230(1)/26-3-2018 तददिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

2.निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

3.जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

4.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

5.मुख्य कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

6.अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, सिद्धार्थनगर।

7.जिला समाज कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर।

8.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

9.समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in